MT-24

निरीक्षण प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

थाना कार्यालय : साहरघाट

निरीक्षण की तिथि : 29–07–2003

डा० बी० राजेन्दर

भा०प्र०से०

जिला पदाधिकारी, मधुबनी

डा० बी० राजेन्दर, भा०पु०से०, जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा दिनांक 29-07-2003 को ताहरघाट थाना का किये गये निरीक्षण से संबंधित अभिलिखित निरीक्षण टिप्पणी ।

1- परिचय :-

ताहरघाट थाना जिला मुख्यालय से 35 कि०मी० की दूरी पर पश्चिम-उत्तर दिशा में भारत-नेपाल सीमा के पास अवस्थित है । यह थाना बेनीपट्टी अनुमण्डल के अन्तर्गत आता है । यह थाना मधवापुर थाना से अलग होकर सहायक थाना के रूप में कार्यरत है । इस सहायक थाना की स्थापना से संबंधित अधिसूचना की प्रति की मांग किये जाने पर , थानाप्रभारी ने बताया कि अधिसूचना की प्रति उपलब्ध नहीं है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि आरक्षी अधीक्षक कार्यालय अथवा आरक्षी उप महानिरीक्षक कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर अधिसूचना की प्रति प्राप्त कर संधारित करते हुए एक माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें। आवागमन की दृष्टि से यह थाना सुविधाजनक है एवं मुख्य पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है । इसके पश्चिम -उत्तम में 10 कि०मी० की दूरी पर मधवापुर थाना, पश्चिम में करी 25 कि०मी० की दूरी पर सीतामढ़ी जिले का पुपरी थाना, करीब 10 कि०मी० दक्षिण-पूरब में बेनीपट्टी थाना, 8 कि०मी० पूरब में झिरझिर थाना एवं करीब 15 कि०मी० पूरब-उत्तर में हरलाखी थाना है । यहाँ से 10 कि०मी० की दूरी पर उत्तर में नेपाल की सीमा है, जिसके फलस्वरूप यह एक संवेदनशील थाना है । साथ ही धौस नदी के किनारे यह थाना अवस्थित है ।

लगभग 20 दिन पूर्व सूचना दिये जाने के बावजूद भी निरीक्षण के समय अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, बेनीपट्टी एवं आरक्षी निरीक्षक, बेनीपट्टी उपस्थित नहीं थे, जो एक गम्भीर विषय है । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि उक्त दोनों पुलिस पदाधिकारियों से इस संबंध में स्पष्टीकरण पूछने की कृपा करें एवं अपने स्तर से उन्हें निर्देश दें कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा थाना निरीक्षण के समय निश्चित रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें ।

2- भवन :-

इस थाना का अपना भवन नहीं है । वर्त्तमान में यह खादी ग्रामोद्योग के किराये के मकान में कार्यरत है । मकान

लगातार....2/-

अपेक्षित का है, जो जर्जर स्थिति में है । एक छोटे से कोठरी में थाना प्रभारी का कार्यालय एवं दूसरे कोठरी में तिरिस्ता कार्य किया जा रहा है । थानाप्रभारी ने बताया कार्य के निष्पादन में कतिपय असुविधाओं का सामना करना पड़ता है । बरसात के मौसम में पानी चूता है, जिसके फलस्वरूप महत्वपूर्ण अभिलेख के नष्ट होने की संभावना बनी रहती है । निरीक्षण के क्रम में उपस्थित पृथक विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, मधवापुर ने बताया कि थाना भवन के लिए सरकारी जमीन अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव जिला मुख्यालय को भेज दिया गया है । प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व को निर्देश दिया जाता है कि प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में थाना भवन हेतु जमीन अधिग्रहण करने की दिशा में अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें । इस थाना में महिला/पुरुष हाजत नहीं है, आरक्षी बैरक नहीं है और न ही आरक्षियों/थाना प्रभारी के लिए आवासीय क्वार्टर ही उपलब्ध है ।

3- प्रभार :-

अ0नि0 शिवनाथ राम, दिनांक 04-02-2002 से थाना प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं । इनसे पूर्व अ0नि0 विनय राम, थाना प्रभारी के रूप में कार्यरत थे । थाना प्रभारियों का नामपट्ट उपलब्ध है, परन्तु थाना प्रभारी के कार्यालय प्रकोष्ट में नीचे में रखा हुआ पाया गया, जिसे ऊपर टंगवाने का निर्देश दिया गया । नामपट्ट में उपलब्ध सूची के अनुसार निम्नांकित थाना प्रभारी पूर्व में इस थाना में पदस्थापित थे :-

क्रमांक	पदनाम	नाम	कब से पदस्थापित	कबतक पदस्थापित
1-	अवर निरीक्षक	देवीकान्त झा	17-10-1983	17-03-1990
2-	अवर निरीक्षक	अरूण कुमार सिंह	18-03-1990	11-02-1992
3-	अवर निरीक्षक	बसन्त कुमार सिंह	12-02-1992	10-03-1993
4-	अवर निरीक्षक	ब्रह्म नारायण सिंह	11-08-1993	23-09-1994
5-	अवर निरीक्षक	पुरेन्द्र नाथ सिंह	24-09-1994	13-12-1996
6-	अवर निरीक्षक	हरेन्द्र प्रताद सिंह	14-12-1996	09-04-1997
7-	अवर निरीक्षक	विद्यासागर सिंह	10-04-1997	15-12-1998
8-	अवर निरीक्षक	केशव कुमार वर्मा	16-12-1998	06-12-2000
9-	अवर निरीक्षक	जाकिर हुसैन	07-01-2000	30-03-2000
10-	अवर निरीक्षक	विनय राम	31-03-2000	03-02-2002
11-	अवर निरीक्षक	शिवनाथ राम	04-02-2002	से वर्तमान ।

4- स्थापना :-

ताहरघाट थाना में स्वीकृत बल की स्थिति निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति
1-	अवर निरीक्षक	1	1	-
2-	सहायक अवर निरीक्षक	2	1	1
3-	हवलदार	2	-	2
4-	आरक्षी	8	2	6
	कुल :-	13	4	9

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि सहायक अवर निरीक्षक का एक , हवलदार का दो एवं आरक्षी का 6 पद इस थाना में रिक्त है । अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित इस थाना में इतनी कम संख्या में आरक्षियों के पदस्थापन से विधि-व्यवस्था कार्य में कठिनाई होती है । इसी प्रकार सहायक अवर निरीक्षक एवं हवलदार भी स्वीकृत बल से कम पदस्थापित हैं। आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित इस थाना में रिक्त स्थानों के विरूद्ध पदस्थापन की दिशा में अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई करना चाहेंगे ।

स्वीकृत बल के विरूद्ध पदस्थापन की स्थिति निम्नवत है :-

क्रमांक	पदनाम	नाम	योगदान की तिथि	गृह पता
1-	अवर निरीक्षक	शिवनाथ राम	04-02-2002	ग्राम- तलोनेपुर, पो0-मरकन, जिला-सीवान
2-	सहायक अवर निरीक्षक	विभूति राम	19-08-2001	ग्राम-पो0-दहिवर, थाना-औद्योगिक क्षेत्र, बक्सर, जिला-बक्सर ।
3-	आरक्षी सं0-416	नवल किशोर शर्मा	20-10-2002	ग्राम-बलभद्दरराय, थाना-पो0-हिलसा, जिला-नालन्दा ।
4-	आरक्षी सं0-18	प्रभाकर मिश्र माधव	14-08-2000	ग्राम-जगदीशपुर बधनगरी, जिला-मुजफ्फरपुर

लगातार...4/-

5- पूर्व निरीक्षण :-

लहरघाट थाना का पूर्व में निम्नांकित निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है :-

क्रमांक	निरीक्षी पदाधिकारी का नाम	पदनाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण टिप्पणी प्राप्त की तिथि	अनुपालन की तिथि
1	2	3	4	5	6
1-	श्री बी0के0 मिश्रा	अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, बेनीपट्टी ।	02-11-1984	17-11-1984	13-12-1984
2-	श्री के0एन0सिंह	आरक्षी निरीक्षक, बेनीपट्टी	16-03-1985	30-03-1985	21-04-1985
3-	श्री भवेश ठाकुर	अनु0आरक्षी पदा0बेनीपट्टी	30-10-1985	01-11-1985	08-11-1985
4-	श्री एन0सी0दोंदियाल	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	20-06-1986	27-08-1986	24-01-1987
5-	श्री भवेश ठाकुर	अनु0आरक्षी पदा0, बेनीपट्टी	13-01-1987	15-01-1987	28-01-1987
6-	श्री भवेश ठाकुर	अनु0आरक्षी पदा0, बेनीपट्टी	26-01-1988	09-02-1988	15-02-1988
7-	श्री अजीत दत्त	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	18-02-1988	22-02-1988	01-03-1988
8-	श्री बी0 एन0तिवारी	आरक्षी निरीक्षक, बेनीपट्टी	20-05-1988	02-05-1988	20-05-1988
9-	श्री चन्द्रदेव प्रसाद केसरी	आरक्षी निरीक्षक, बेनीपट्टी	18-07-1989	18-07-1989	01-09-1990
10-	श्री आर0आर0वर्मा	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	12-10-1990	25-10-1990	27-12-1990
11-	श्री सुधीर कुमार सिंह	आरक्षी निरीक्षक, बेनीपट्टी	01-04-1992	01-09-1992	09-09-1992
12-	श्री एम0आई0बेग	अनु0आरक्षी पदा0, बेनीपट्टी	28-03-1993	06-09-1992	22-12-1993
13-	श्री एम0आई0बेग	अनु0आरक्षी पदा0, बेनीपट्टी	21-03-1992	15-04-1992	12-06-1992
14-	श्री एम0आई0बेग	अनु0आरक्षी पदा0, बेनीपट्टी	28-03-1993	06-09-1993	22-12-1993
15-	श्री एच0बी0चौबे	अनु0आरक्षी पदा0, बेनीपट्टी	16-10-1994	23-10-1994	16-11-1994

लगातार....5/-

16-	श्री आर०एल०प्रसाद	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	19-11-1994	23-11-1994	19-10-1995
17-	श्री एल०बी०चौधरी	अनु०आरक्षी पदा०बेनीपट्टी	02-11-1995	06-11-1995	22-11-1995
18-	श्री नरेन्द्र कुमार	आरक्षी निरीक्षक, बेनीपट्टी	11-03-1996	15-03-1996	15-03-1996
19-	श्री आर०एल०प्रसाद	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	31-03-1996	15-05-1996	30-07-1996
20-	श्री महेश्वर महतो	अनु०आरक्षी पदा०बेनीपट्टी	21-09-1997	21-09-1997	02-11-1997
21-	श्री शाहाब अख्तर	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	14-02-1998	10-03-1998	08-09-1998
22-	श्री शाहाब अख्तर	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	16-09-1998	19-10-1998	18-06-1999
23-	श्री महेश्वर महतो	अनु०आ०पदा०बेनीपट्टी	25-03-1999	01-05-1999	02-06-1999
24-	श्री एस०एन०पासवान	आरक्षी निरीक्षक, बेनीपट्टी	19-06-1999	19-06-1999	20-10-2000
25-	श्री एल०बी०सिंह	अनु०आ०पदा०बेनीपट्टी	24-10-2000	30-10-2000	30-11-2000
26-	श्री एस०एन०माँझी	आरक्षी निरीक्षक, बेनीपट्टी	20-03-2001	20-03-2001	25-04-2001
27-	श्री एस०एन०माँझी	तदैव	31-08-2001	31-08-2001	25-09-2001
28-	श्री विमलेश प्र०सिन्हा	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	17-10-2001	13-11-2001	अप्राप्त

निरीक्षण टिप्पणी से संबंधित उपर्युक्त आँकड़ा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी द्वारा वर्ष 2001 के बाद, अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, बेनीपट्टी द्वारा 2001 के बाद एवं आरक्षी निरीक्षक, बेनीपट्टी द्वारा वर्ष 2001 के बाद इस थाना का निरीक्षण नहीं किया गया है, जो चिन्ता की बात है । नियमानुसार प्रत्येक निरीक्षी पदाधिकारी को वर्ष में कम से कम दो बार थाना का निरीक्षण करना है ।

इस थाना का अभी तक किसी भी अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया है । बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 32 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "अनुमण्डल पदाधिकारियों को आरक्षी के संबंध में वही सब शक्तियाँ

लगातार.... 6/-

प्राप्त हैं, तो अन्य अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों को है । हर अनुमण्डल पदाधिकारी का कर्त्तव्य है कि वे अपने अधिक्षेत्र के भीतर सभी थानों का वार्षिक निरीक्षण करें " । अतएव, अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपट्टी को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले सभी थानों का वार्षिक निरीक्षण कर निरीक्षण टिप्पणी की प्रति उपलब्धकराने का कष्ट करेंगे ।

निरीक्षण टिप्पणी से संबंधित पंजी का अवलोकन किया । पंजी दो भौलूम में संधारित है । पंजी की स्थिति भी जर्जर है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि पंजी का अच्छी तरह से बाईंडिंग कराकर उसपर लेवलिंग कराना सुनिश्चित करें ।

निरीक्षण टिप्पणी से संबंधित उपर्युक्त आँकड़ा के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि तत्कालीन आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी श्री विमलेश प्रसाद सिन्हा द्वारा इस थाना का निरीक्षण दिनांक 17-10-2001 को किया गया था । निरीक्षण टिप्पणी 13-11-2001 को प्राप्त है, परन्तु अनुपालन प्रतिवेदन अभी तक नहीं भेजा गया है, जो दुःखद एवं खेद की बात है । थाना प्रभारी इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दें कि अनुपालन प्रतिवेदन अभी तक क्यों नहीं भेजा गया है । नियमानुसार निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेज दिया जाना चाहिए, जो नहीं किया गया है । यदि पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन भेजना संभव न हो तो कम से कम अंतरिम अनुपालन प्रतिवेदन तो अवश्य भेज दिया जाना चाहिए । यदि उच्चाधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन स्पष्ट रूप से एवं समय-सीमा के अन्दर नहीं भेजा जाता है, तो निरीक्षण का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है । यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें थाना के बारे में एवं क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है । निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये निर्देशों का अनुपालन निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कर दिये जाने से कार्यालय कार्य में गुणात्मक सुधार आ सकता है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि सभी निरीक्षण टिप्पणियों का अध्ययन कर अवशेष कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन एक माह के अन्दर भेजते हुए अवगत करायेंगे । अनुपालन प्रतिवेदन में अनुपालन किया जा रहा है, किया जायेगा आदि शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसे थाना प्रभारी सुनिश्चित करेंगे ।

6- थाना दैनिकी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 116 के तहत फार्म संख्या-15 में थाना दैनिकी संधारित है । थाना में उपलब्ध दैनिकी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि क्रमांकित भौलूम विहित प्रपत्र में संधारित है । यह दो प्रतियों में होती है । कार्बन प्रति

लगातार...7/-

आरक्षी निरीक्षक, बेनीपट्टी को प्रतिदिन भेज दी जाती है । आरक्षी निरीक्षक द्वारा एक महीने का थाना दैनिकी संकलित कर महीने के अन्तिम दिन आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेज दिया जाता है । थाना दैनिकी में हर दो घंटे की महत्वपूर्ण सूचनाएँ अंकित की जाती है । यह कार्य प्रतिदिन 8-00 बजे प्रातः से प्रारम्भ होकर 24 घंटे के चक्र में अगले दिन 8-00 बजे पूर्वाह्न तक चलता रहता है । थाना दैनिकी नियमित रूप से लिखा जा रहा है ।

निरीक्षण के दौरान थाना दैनिकी बुक संख्या 9312 के क्रमांक 093101 से 093200 तक का अवलोकन किया । लहेरघाट थाना काण्ड संख्या 04/2002 दिनांक 19-1-2002 धारा 461, 379 भा0द0वि0 वादी प्रदीप कुमार पंजियार पे0 रामप्रसाद पंजियार, सा0- थाना-बेनीपट्टी द्वारा काण्ड अंकित कराया गया कि सिनेमा हॉल से अलमिनेटर की चोरी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा किया गया । घटनास्थल का निरीक्षण, गवाहों का बयान एवं पर्यवेक्षण से इस काण्ड में अन्तिम प्रतिवेदन संख्या 15/2002 दिनांक 20-5-2002 को सत्य सूत्रहीन समर्पित किया गया ।

थाना दैनिकी में थाना क्षेत्र में जो भी घटनाएँ घटित होती है, उसकी प्रविष्टि की जाती है । इसके अतिरिक्त थाना के पदाधिकारी जब बाहर जाते हैं, उक्त तिथि को कोई महिला हाजत में रही है अथवा नहीं, उक्त तिथि को मौसम कैसा रहा, थाना में कितनी राशि नगद रूप में है, कोई विदेशी थाना क्षेत्र में आया अथवा नहीं, आदि की भी प्रविष्टि की जाती है । थाना दैनिकी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है । इसे थाना का दर्पण( ) भी कहा जाता है ।

7- फिरारी पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम-118 के तहत फार्म संख्या 16 में फिरारी पंजी संधारित करना है, जो संधारित है । यह दो भाग में संधारित है । भाग-1 में अपने थाना के अपराधकर्मी का नाम एवं भाग-11 में दूसरे थाना के अपराधियों का नाम अंकित किया जाताहै । फिरारी पंजी का अवलोकन किया गया । पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पंजी में फिरारियों का नाम हाल ही में इन्द्राज किया गया है । फिरारी अमरेन्द्र ठाकुर उर्फ पुनम ठाकुर पे0-रामशरण ठाकुर, सा0- त्रिमुहान, थाना-लहेरघाट, जिला -मधुबनी, लहेरघाट थाना काण्ड संख्या 17/1992 धारा 414 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट में फिरार हैं । इन पर एक सौ रुपये का पुरस्कार घोषित है । थानाप्रभारी ने बताया कि यह फिरारी विगत 8(आठ) वर्षों से घर नहीं आ रहे हैं । दूसरा फिरारी ब्रह्मदेव

लगातार....8/-

साह पे0 दीप साह, सा0-सलेमपुर, थाना-साहरघाट, जिला-मधुबनी, साहरघाट थाना काण्ड संख्या 116/90 धारा 366, 366(ए), 346 भा0द0वि0 में फरार हैं। इनकी गिरफ्तारी हेतु भी मो0 100/-(एक सौ) रुपये का पुरस्कार घोषित है। गिरफ्तारी हेतु समय-समय पर छापामारी की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि ऐसी जानकारी मिली है कि ये अपने परिवार के साथ 10(दस) वर्ष से दिल्ली में रह रहे हैं, वहाँ से घर नहीं आ रहे हैं। तीसरा फरारी रामयाद ठाकुर पे0 रामनन्दन ठाकुर, सा- त्रिमुहान, थाना-साहरघाट, जिला-मधुबनी है। ये बेनीपट्टी थाना काण्ड संख्या 177/2000 धारा 420, 406 भा0द0वि0 में फरार हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि सभी फरारियों की गिरफ्तारी हेतु समय-समय पर छापामारी की जा रही है। पंजी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अन्तिम छापामारी 1-7-2003 को किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि भाग -II में विवरणी शून्य है। थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि सभी फरारियों की गिरफ्तारी हेतु सघन अभियान चलाकर औचक रूप से छापामारी करें एवं गुप्तचर के द्वारा उनके उपलब्धता की जानकारी प्राप्त करें। इस वर्ष फरारी घोषित करने हेतु एक भी व्यक्ति का प्रस्ताव नहीं दिया गया है।

8- गिरफ्तार अपराधियों की पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 171 के तहत फार्म संख्या 31 ए. में इस पंजी का संधारण करना है। विहित प्रपत्र के अभाव में सादे पंजी में संधारित किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मुख्यालय से विहित प्रपत्र प्राप्त नहीं होने के कारण सादे पंजी में संधारित किया गया है। उन्हें निर्देश दिया जाता है कि आरक्षी अधीक्षक कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर एक सप्ताह के अन्दर विहित प्रपत्र में पंजी संधारित करें एवं अनुपालन प्रतिवेदन भेजें। बताया गया कि इस वर्ष अभी तक कुल 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें जनवरी में 1, फरवरी में 3, मार्च में 2, अप्रील में 2, मई में 2, जून में 6 एवं जुलाई में 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार थाना प्रभारी द्वारा अपराधियों के गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। इससे अपराधियों का मनोबल गिरता है एवं विधि-व्यवस्था के संधारण में आसानी होती है।

9- रिटर्न ऑफ अनएक्जक्यूटेड वारंट :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 109 के तहत फार्म संख्या 50 में इस पंजी को संधारित करना है। पंजी संधारित है।

थाना प्रभारी ने बताया कि माह-जनवरी, 2003 से 20-7-2003 तक इस थाना में कुल 66 वारंट प्राप्त हुए, जिसमें से 37 का निष्पादन किया जा चुका है तथा 29 वारंट एवं 6 कुर्की निष्पादन हेतु लंबित है । थाना प्रभारी द्वारा विहित प्रपत्र में वारंट/कुर्की का विवरण नहीं दिया गया है । अर्थात कुल 66 वारंट कब प्राप्त हुए, कब उनका तामिला कराया गया आदि । थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि निम्नांकित विहित प्रपत्र में लंबित वारंट/कुर्की को विवरणी एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें :-

पूर्व से लंबित		वर्त्तमान माह में प्राप्त		वर्त्तमान माह में निष्पादित		कुल लंबित	
वारंट	कुर्की	वारंट	कुर्की	वारंट	कुर्की	वारंट	कुर्की

पदाधिकारीवार लंबित वारंट/कुर्की का विवरणी निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम/पदनाम	वारंट	कुर्की
1-	अ0नि0स0इ0रा0म	22	6
2-	स0अ0नि0बी0रा0म	7	×

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि 29 वारंट एवं 6 कुर्की तामिला हेतु अभी भी लंबित है, परन्तु इन पदाधिकारियों के यहाँ वारंट तामिला हेतु कब से लंबित है, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है । थानाप्रभारी को निदेश दिया जाता है कि लंबित वारंट/कुर्की को 15 दिनों के अन्दर निष्पादित कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

10- रजिस्टर ऑफ आर्म्स लाईसेंस :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 130 के तहत फार्म संख्या 25 में यह पंजी संधारित है परन्तु विहित प्रपत्र के अभाव में सादे पंजी में संधारित किया गया है । बिहार शस्त्र अधिनियम 48 के तहत वर्ष में एक बार इस पंजी का मिलान जिला शस्त्र पंजी से करवाया जाना है, जो किया जा रहा है । पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 18-7-2003 को जिला शस्त्र पंजी से इसका मिलान किया गया है । शस्त्र पंजी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि पंजी में 33 शस्त्र अनुज्ञाप्तिधारियों का नाम उल्लेख है, जबकि निरीक्षण हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन में 23 का जिक्र किया गया है । थाना प्रभारी स्पष्ट करें कि इसमें भिन्नता क्यों है ।

लगातार....10/-

पंजी हाल ही में खोला गया है । बताया गया कि पूर्व में मुंशी द्वारा लिखा गया है ।

11- हाजत पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के भौलूम-11 के नियम 239 ए. फार्म संख्या-43ए. में यह पंजी संधारित करना है, जो विहित प्रपत्र के अभाव में सादे पंजी में संधारित किया गया है । थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तारी पंजी के अनुसार इस पंजी की विवरणी तैयार की जा रही है, जो गलत प्रक्रिया है । थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि चूँकि दोनों पंजी दो तरह की होती है, जिसमें अलग-अलग सूचनाएँ रहती है । पंजी का सभी कॉलम को सही ढंग से नहीं भरा गया है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि आरक्षी अधीक्षक कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर विहित प्रपत्र प्राप्त कर एक सप्ताह के अन्दर पंजी को सही ढंग से संधारित करना सुनिश्चित करें । यह एक महत्वपूर्ण पंजी है । यदि इस पंजी का संधारण सही ढंग से नहीं किया जाता है, कॉलम खाली छोड़े जाते है, तथा यदि संयोगवश बन्दी के साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती है , तो ऐसी स्थिति में यही माना जायगा कि थाना प्रभारी द्वारा अपने कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही बरती गई है । यह पंजी उस समय और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अथवा न्यायालय द्वारा किसी मामले में इस पंजी से संबंधित कोई प्रतिवेदन की मांग की जाती है , उस समय यह पंजी काफी उपयोगी सिद्ध होती है ।

12- तख्ती नं0-1 :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 76 के तहत तख्तियों को संधारित करना है । तख्ती नं0-1 सरकारी सम्पत्तियों से संबंधित होती है । इस तख्ती में सरकारी सम्पत्ति की सूची रखी गई है, जो अद्यतन है । इस तख्ती का मिलान आरक्षी केन्द्र , मधुबनी से दिनांक 18-7-2003 को किया गया है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि थाना परिसर में रखे गये अन्य सरकारी सम्पत्ति एवं लावारिस सम्पत्ति को भी इस तख्ती में दर्ज करें ताकि पूर्ण जानकारी हो सके एवं सरकारी सम्पत्ति को छुपने या इसकी क्षति पहुँचाने की संभावना से बचा जा सके । थाना प्रभारी इसे सुनिश्चित कर एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

13- तख्ती नं0-2 :-

थाना में पदस्थापित हर पंक्ति के पदाधिकारियों/आरक्षियों का नाम/पता इस तख्ती में अंकित किया जाता है, जो अद्यतन है ।

लगातार.. ..11/-

14- तहती नं0-3 :-

इस तहती में विस्फोटक अधिनियम के अधीन अनुज्ञाप्ति प्राप्त कारखाने, भंडार और दूकानों की सूची इस तहती में रखी जाती है । थाना प्रभारी ने बताया कि इस थाना में विस्फोटक अनुज्ञापत्र भंडारण का कोई मामला लंबित नहीं है । तहती अद्यतन है ।

15- तहती नं0-4 :-

इस तहती में गोला, बारूद, आयुध के संबंध में सूचना अंकित रहती है, परन्तु इस थाना में यह मामला शून्य है ।

16- तहती नं0-5 :-

इस तहती में विष अधिनियम के तहत अनुज्ञाप्ति प्राप्त दूकानों की सूची रहती है । थाना प्रभारी ने बताया कि इस थाना में इस प्रकार का कोई मामला लंबित नहीं है ।

17- तहती नं0-6:-

इस तहती में उत्पाद अधिनियम के तहत अनुज्ञाप्ति प्राप्त देशी/विदेशी शराब एवं अफीम के दूकानों की सूची रहती है । थाना प्रभारी ने बताया कि इस थाना क्षेत्रान्तर्गत देशी शराब की अनुज्ञाप्ति प्राप्त एक दूकान है । लाइसेंसधारी श्री प्रमोद कुमार पे0 स्व0 मिश्रीलाल प्रसाद, सा0-थाना-मनीगाछी, जिला-दरभंगा है । उक्त अनुज्ञाप्तिधारी के अनुज्ञाप्ति संख्या का जिक्र नहीं किया गया है । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि उत्पाद अधीक्षक, मधुबनी से सम्पर्क स्थापित कर लाईसेंसधारी के अनुज्ञाप्ति की छायाप्रति प्राप्त कर इस तहती में चिपकाना सुनिश्चित करें ।

18- तहती नं0- 7 :-

इस तहती में लंबित अन्वेषण काण्ड से संबंधित पदाधिकारियों का नाम अंकित किया जाता है, तो अद्यतन है ।

लगातार.... 12/-

19- तख्ती नं0-8 :-

इस तख्ती में जुआ, गेमिंग सेन्टर आदि के संबंध में सूचना अंकित की जाती है । थाना प्रभारी ने बताया कि इस थाना क्षेत्रान्तर्गत इस प्रकार का कोई मामला नहीं है । स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है ।

20- तख्ती नं0-9 :-

इस तख्ती में थाना क्षेत्र में लगने वाले हाट, बाजार की सूचना अंकित की जाती है । इस थानान्तर्गत लगने वाले हाट, बाजार की तिथिवार सूचना निम्नवत है :-

क्रमांक	स्थान का नाम	लगने के दिन	हाट	मेला
1-	साहरघाट	मंगलवार/शनिवार	हाट	-
2-	पोखरौनी	बुधवार/शनिवार	हाट	पशु मेला
3-	विशनपुर	रविवार/गुरूवार	-	-
4-	अबारी	सोमवार/शुक्रवार	-	-
5-	सलेमपुर	सोमवार/शुक्रवार	-	-
6-	अकरहरघाट	-	-	-
7-	पिठवारा		-	महावीरी झंडा
8-	करहुँआ घाट	-	-	महावीरी झंडा

21- तख्ती नं0-10 :-

इस तख्ती में थाना क्षेत्र के पंचायतों की सूची, मुखिया, सरपंच का नाम, जिलापरिषद सदस्य एवं प्रखंड प्रमुख का नाम शामिल किया गया है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस तख्ती में सांसद/विधायक/पार्षद का नाम भी इन्द्राज करने का कष्ट करें ।

22- तख्ती नं0-11:-

इस तख्ती में नियम 152 के तहत निर्धारित प्रपत्र में सूचना संधारित की जाती है । तख्ती संधारित है एवं दिनांक

11-7-2003 की तिथि में थाना एवं जिला का नाम अंकित है ।

23- तख्ती नं0- 12 :-

इस तख्ती में दागियों की सूची रखी जाती है । इस तख्ती के अनुसार इस थाना में कुल दागियों की संख्या 13 है, जिसकी विवरणी निम्नवत है :-

क्रमांक	दागी संख्या	नाम/पिता का नाम	ग्राम	अपराध शैली	वर्गीकरण
1-	ए/3	विश्वनाथ सहनी पे0 छोटू सहनी	साहरघाट	लुटेरा	त्रैमासिक
2-	ए/35	सीताराम साह पे0 अशर्फी साह	पतार	गृहभेदन	वार्षिक
3-	ए/36	रामबाबू यादव पे0 मनी यादव	केरवा	डकैती	मासिक
4-	ए/37	दुःखी साफी पे0 सरयुग साफी	त्रिमुहान	डकैती	मासिक
5-	ए/38	विनोद यादव पे0 मौजे यादव	रैमा	डकैती	मासिक
6-	ए/49	शोभित यादव पे0 युगे यादव	रैमा	डकैती	मासिक
7-	ए/40	बिकरू यादव पे0 जगदीश यादव	केरवा	डकैती	मासिक
8-	ए/41	बच्चू यादव पे0 पुलकित यादव	केरवा	डकैती	मासिक
9-	ए/42	झगरू यादव पे0 मुंसिफ यादव	केरवा	डकैती	मासिक
10-	सी/1	मो0 अनवर मियाँ पे0 रमजानमियाँ	साहरघाट	चोरी	मासिक
11-	सी/2	अरूण कु0महतो पे0 सत्यनारायण महतो	नवटोली	चोरी	मासिक
12-	सी/3	नथुनी राउत पे0 बिन्दा राउत	साहरघाट	चोरी	मासिक
13-	सी/4	कृपाल महतो पे0 रामटहलमहतो	बारा टोले	चोरी	मासिक

24- तख्ती नं0-13 :-

इस तख्ती में अगल-बगल के थाना के सक्रिय अपराधियों की सूची रखी जाती है । निरीक्षण हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन

लगातार.. 14/-

में सक्रिय अपराधियों की संख्या का जिक्र नहीं किया गया है, जिससे यह पता नहीं चलता कि किस-किस थाना क्षेत्रान्तर्गत सक्रिय अपराधकर्मी हैं । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाताहै कि इस संबंध में वे अपना स्पष्टीकरण दें एवं सूची अद्यतन कर अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को भेजें ।

25- तख्ती नं0-14 :-

इस तख्ती में उच्चाधिकारी को भेजे जाने वाली विवरणियाँ रखी जाती है । तख्ती के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिला पदाधिकारी को कोई भी प्रतिवेदन अभी तक नहीं भेजा गया है । क्या इस थाना से जिला पदाधिकारी को कोई प्रतिवेदन नहीं भेजा जाता है । थाना प्रभारी स्थिति स्पष्ट करें ।

26- तख्ती नं0-15:-

इस तख्ती में थाना का मानचित्र रखा जाता है । तख्ती संधारित है । बिहार हस्तक के नियम 131 के अनुसार रखे जाने वाले अपराध मानचित्र के अतिरिक्त मजबूत किरमिची अस्तरवाला एक छपा हुआ, थाना मानचित्र भी टंगा रहेगा, जिस पर भठियाँ, शराब की दुकाने, सार्वजनिक घाट, चौकीदारी यूनियन की सीमाएँ, सीमावर्ती आरक्षी थानों के चित्र काट-काटकर चिपकाये जायेंगे । किन्तु इस अनुदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर थाना मानचित्र को अद्यतन करते हुए उसकी एक प्रति तख्ती में भी संधारित करें एवं अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

27- तख्ती नं0-16 :-

इस तख्ती में सरकारी अधिसूचना, जिसके अनुसार थाना का सृजन हुआ है, की प्रति, थाना नं0, क्षेत्रफल, जनसंख्या, गाँवों की सूची आदि रखी जाती है। इस थाना में अधिसूचना की प्रति उपलब्ध नहीं रहने के कारण तख्ती में चिपकाया नहीं गया है । अन्य विवरणियाँ उपलब्ध है ।

28- सब इन्सपेक्टर नोट बुक :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 357 के तहत फार्म संख्या 75 बी0 में सब इन्सपेक्टर नोट बुक संधारित करना है, परन्तु इस थाना में विहित प्रपत्र के अभाव में सादे पंजी निजी दैनिकी के रूप में संधारित की गई है एवं आवश्यक बातों को नोट किया जा रहा

लगातार... 15 /-

है ।

29- खतियान इन्सपेक्शन रजिस्टर पार्ट-I :-

यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है । पंजी की स्थिति दयनीय है । पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आरक्षी निरीक्षक द्वारा वर्ष 2001 के बाद नहीं लिखा गया है, जो खेदजनक है । आरक्षी निरीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि इस पंजी को अद्यतन कर एक पक्ष के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें एवं भविष्य में नियमित रूप से इस पंजी को लिखना सुनिश्चित करें । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि इस संबंध में संबंधित आरक्षी निरीक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त कर उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई करेंगे एवं कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायेंगे ।

30- खतियान इन्सपेक्शन रजिस्टर पार्ट-II :-

खतियान इन्सपेक्शन रजिस्टर पार्ट-II विहित पत्र में संधारित है जिसमें 64 कॉलम हैं । इस पंजी में पूरे वर्ष में दर्ज काण्डों की पूर्ण विवरणी दर्ज की जाती है । थाना प्रभारी ने बताया कि विगत वर्ष 2002 में इस थाना में कुल 36 काण्ड दर्ज किये गए हैं जिसमें 20 काण्डों में आरोप पत्र एवं एक काण्ड में अंतिम प्रतिवेदन सत्य-सूत्रहीन समर्पित किया गया है तथा 6 काण्डों में अंतिम प्रतिवेदन असत्य है । इसके अतिरिक्त एक काण्ड में तथ्य की भूल एवं एक काण्ड में असंज्ञेय समर्पित किया गया है । बताया गया कि कुल 7 काण्ड अनुसंधान हेतु लंबित है । थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि लंबित काण्डों के निष्पादन की दिशा में तीव्रता लाई जाय ।

31- सी0डी0पार्ट-I :-

इसमें दागी व्यक्तियों(हिस्ट्रीसियर्स) की सूची रखी जाती है । पंजी अद्यतन है ।

32- सी0डी0पार्ट-II :-

यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है । बताया गया कि इस पंजी में सम्पत्ति से संबंधित अपराध के मामले दर्ज किये जाते हैं । जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध साबित हो जाता है तो उसे इस पंजी में सूचीबद्ध कर दिया जाता है । इसमें दूसरे थाना का केस लाल स्याही से एवं अपने थाना का केस काला स्याही से अंकित किया जाताहै । इस पंजी का अवलोकन किया । अंतिम प्रविष्टि

लगातार....16/-

संख्या 346 है, जो ताहरघाट थाना काण्ड संख्या 4/2002 दिनांक 19-1-2002, धारा 461, 379 भा0द0वि0 से संबंधित है। थाना प्रभारी ने बताया कि वर्णित काण्ड में अनुसंधान के बाद अंतिम प्रतिवेदन तथ्य सूत्रहीन समर्पित किया गया है।

33- सी0डी0पार्ट-III :-

इस पंजी में थाना क्षेत्र में सभी मुख्य विषयों पर गोपनीय अभ्युक्ति अंकित की जाती है। पंजी का अवलोकन किया। पंजी की स्थिति जर्जर है, जिसे बाईंडिंग कराने की आवश्यकता है। थाना प्रभारी ने बताया कि यह 3 खंडों में होता है। प्रथम खंड में अपराध की घटना, द्वितीय खंड में पर्व-त्यौहार एवं तृतीय खंड में राजनैतिक, भूमि-विवाद एवं अन्य गोपनीय बातें अंकित की जाती है। इसे थाना प्रभारी द्वारा लिखा जाता है। नये आने वाले पदाधिकारी को इससे काफी जानकारी मिलती है। पंजी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि थानाप्रभारी द्वारा दिनांक 11-7-2003 तक लिखा गया है। थाना प्रभारी इसे भविष्य में अद्यतन करें एवं नियमित रूप से लिखना सुनिश्चित करें।

34- अल्फावेट अनुक्रमणी पंजी :-

यदि किसी व्यक्ति के चरित्र सत्यापन का मामला आता है तो उसे अल्फावेट अनुक्रमणी पंजी से नाम देखकर सी0डी0 पार्ट-II से जानकारी हासिल की जाती है। इस पंजी में उन्हीं व्यक्तियों का नाम रहता है, जो किसी मामले में संलिप्त रहते हैं। यह पंजी सी0डी0पार्ट-II में अंकित व्यक्तियों के आधार पर बनाई जाती है। इस पंजी में अंकित व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है, तो उसका नाम लाल स्याही से काट दिया जाता है। थाना प्रभारी ने बताया कि माह जनवरी, 2003 से माह जुलाई, 2003 तक एक भी वैसे काण्ड प्रतिवेदित नहीं हुए हैं, जिनका नाम सी0डी0पार्ट-II, अल्फावेटीकल, एम0ओ0 रजिस्टर में अंकित किया जा सके।

35- एम0ओ0 रजिस्टर :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 357 के तहत फार्म सं0- 76ए· में एम0ओ0 रजिस्टर संधारित है। इस रजिस्टर में अपराधियों के अपराध करने की शैली यथा लूट-पाट किया गया अथवा नहीं, लाठी-डंडा से मारपीट किया गया अथवा नहीं, जाते समय क्या-क्या बोला गया आदि को दर्ज किया जाता है।

36- अप्राकृतिक मृत्यु :-

यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है परन्तु पंजी की स्थिति बहुत ही जर्जर है। थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता

लगातार...17/-

है कि इस पंजी का अविलम्ब बाईडिंग कराना सुनिश्चित करें । विगत पाँच वर्षों का अप्राकृतिक मृत्यु से संबंधित आँकड़ा निम्नप्रकार है :-

वर्ष	डूबने से	जहर खाने से	फाँसी से	तलवार से	जलने से	विद्युत स्पर्याघात से	विविध
1998	-	-	-	1	4	-	2
1999	1	1	-	-	-	1	-
2000	1	1	-	-	-	1	-
2001	-	-	-	-	1	1	-
2002	-	-	-	-	-	-	-
2003 (20-7-03 तक)	-	1	-	-	-	-	-

37- अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की पंजी :-

इस थाना में अनुसूचित जाति/जन जाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के लिए पंजी संधारित है । थाना प्रभारी ने बताया कि इस वर्ष एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है । प्रत्येक वृहस्पतिवार को जिला स्तर पर आयोजित जनता दरबार में आकर शिकायत की जाती है कि थानाप्रभारी द्वारा उनका मामला दर्ज नहीं किया जाता है, मदद नहीं दी जाती है । विदित हो कि यह क्षेत्र अनुसूचित जाति बाहुल्य है जहाँ मुसहर जाति के साथ-साथ अन्य कमजोर वर्ग के लोगों की संख्या काफी है । भूमिहीन एवं भूमिपतियों के बीच तनाव होने की घटना एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के विरुद्ध अत्याचार की घटना के संबंध में अक्सर विभिन्न समाचार पत्र के माध्यम से सूचनाएँ मिलती रहती है । अतः थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस प्रकार की शिकायत/आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर त्वरित गति से निष्पक्ष/संवेदनशील होकर कार्रवाई करें । यदि एक-दो मामलों में कार्रवाई होती है तो इस अधिनियम के बारे में आम लोगों को जानकारी मिल पायेगी एवं पुलिस प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा । इस अधिनियम का सख्ती से अनुपालन कराना अनिवार्य है, अतः इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

38- रजिस्टर ऑफ आर्म्स डिपोजिटेड इन पुलिस स्टेशन :-

बिहार पुलिस दस्तक के नियम 325 के तहत फार्म संख्या 67 में यह पंजी संधारित किया गया है । थाना प्रभारी

लगातार..... 18/-

ने बताया कि इस थाना क्षेत्र के लाइसेंसी आर्म्स मधवापुर थाना में जमा किया जाता है ।

39- दैनिक एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 59(क) के तहत फार्म संख्या 69. में यह प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना है । पुलिस हस्तक के नियम 59(क) में स्पष्ट किया गया है कि "प्रपत्र संख्या 69. में, जो नित्य प्रतिवेदन प्रेषित किया जायगा, उन केसों का विवरण रहेगा, जो प्रतिदिन दर्ज होते हैं । आरक्षी निरीक्षक इनरिपोर्टों को अनुमण्डल पदाधिकारी तथा अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी को प्रेषित करेंगा, जो इन्हें क्रमशः जिलामजिस्ट्रेट तथा आरक्षी अधीक्षक को अग्रसारित करेंगे " किन्तु इस अनुदेश का अनुपालन सही ढंग से आरक्षी निरीक्षक द्वारा नहीं किया जा रहा है । आरक्षी निरीक्षक, बेनीपट्टी को निर्देश दिया जाता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपट्टी को नियमित रूप से दैनिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

40- चौकीदारी पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 13 के तहत विहित प्रपत्र में चौकीदारी पंजी का संधारण किया गया है । यह पंजी 19 कॉलम में संधारित है जिसमें सभी चौकीदारों के लिए अलग-अलग पृष्ट आवंटित है एवं उपस्थिति रोमण अंक में दर्ज की जाती है तथा अनुपस्थिति लाल ईंक से इटालियन में लिखा जाता है ।

चौकीदार/दफादार के स्वीकृत बल एवं रिक्ति की स्थिति निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत बल	पदस्थापित	रिक्ति
1-	दफादार	2	2	-
2-	चौकीदार	20	17	3

उपर्युक्त आँकड़ा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि चौकीदार के स्वीकृत बल के विरुद्ध 3 पद रिक्त हैं । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु समुचित प्रस्ताव उचित माध्यम से यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

स्वीकृत बल के अनुसार पदस्थापित दफादार/चौकीदारों की सूची निम्नप्रकार है :-

लगातार.... 19/-

क्रमांक	महाल/बीट संख्या	पदनाम	नाम	गृह पता
1-	11	दफादार	राजेन्द्र मिश्र	ग्राम-बलबा, थाना-साहरघाट
2-	111	दफादार	सुरेश पासवान	ग्राम-पोखरौनी, थाना-साहरघाट
3-	2/7	चौकीदार	बबन पासवान	ग्राम-साहरघाट
4-	4/2	चौकीदार	रामदेव पासवान	ग्राम-अवारी, थाना-साहरघाट
5-	3/3	चौकीदार	हरिश्चन्द्र पासवान	ग्राम-मिन्ती, थाना-साहरघाट
6-	4/7	चौकीदार	कुलदीप पासवान	ग्राम-तरैया, थाना-साहरघाट
7-	3/4	चौकीदार	ध्रुव पासवान	ग्राम-पकड़ुसाम, थाना-साहरघाट
8-	4/9	चौकीदार	उमेशचन्द्र पासवान	ग्राम-बैंगरा, थाना-साहरघाट
9-	3/5	चौकीदार	शोभित पासवान	ग्राम-विशनपुर, थाना-साहरघाट
10-	2/7	चौकीदार	सुकदेव पासवान	ग्राम-मुखियापट्टी, थाना-साहरघाट
11-	3/6	चौकीदार	उपेन्द्र पासवान	ग्राम-विशनपुर, थाना-साहरघाट
12-	3/9	चौकीदार	रामविलास पासवान	ग्राम-महुआ, थाना-साहरघाट
13-	2/4	चौकीदार	राजेन्द्र यादव	ग्राम-मुखियापट्टी, थाना-साहरघाट ।
14-	2/6	चौकीदार	भिखारी पासवान	ग्राम-रैमा, थाना-साहरघाट
15-	3/8	चौकीदार	वैधनाथ पासवान	ग्राम-पहिपुरा, थाना-साहरघाट ।
16-	4/10	चौकीदार	विन्देश्वर यादव	ग्राम-पकड़ी, थाना-साहरघाट।
17-	2/5	चौकीदार	कैलाश मण्डल	ग्राम-गुशाहरी, थाना-साहरघाट।
18-	4/1	चौकीदार	फेकन पासवान	ग्राम-पिहवारा, थाना-साहरघाट ।
19-	3/2	चौकीदार	रामश्रेष्ठ कापर	ग्राम-पोखरौनी, थाना-साहरघाट ।

41- चौकीदारी डिस्पोजिशन पंजी :-

यह पंजी विहित प्रपत्र के अभाव में सादे पंजी में संधारित है एवं पंजी के सभी स्तम्भ भरे गये हैं । पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पंजी हाल ही में खोला गया है ।

42- मालखाना पंजी :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 307 के तहत फार्म संख्या 51 में मालखाना पंजी संधारित करना है, जिसमें (क) लावारिस सामान (ख) जप्त सम्पत्ति (ग) कुर्की से प्राप्त सम्पत्ति एवं (घ) अपराधिक विचारणों में प्रदर्श के रूप में भेजी गई सम्पत्ति दर्ज की जाती है । थाना प्रभारी ने बताया कि मालखाना में प्रदर्श के 49, कुर्की के 23 एवं लावारिस के 10 मद कुल 82 मद लंबित है । थाना प्रभारी ने बताया कि निष्पादन हेतु 10 मामले लंबित हैं । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि मालखाना में जिन सामानों की आवश्यकता नहीं है, उसका निष्पादन प्रखंड विकास पदाधिकारी की देख-रेख में कराना सुनिश्चित करें ।

43- मालखाना रिसीट भाउचर पंजी :-

मालखाना रिसीट भाउचर पंजी में सक्षम न्यायालय अथवा दण्डाधिकारी के आदेश से जो भी जप्त सामग्री (प्रदर्श) मालखाना से मुक्त किया जाता है, उक्त आदेश की प्रति पेष्ट कर रखी जाती है । यह पंजी दो भागों में होती है । इसे अच्छी ढंग से संधारित किया गया है ।

44- अनुक्रमणी पंजी :-

इस थाना में कितने तरह की पंजियाँ अथवा संचिकाएँ संधारित की गई है, उसकी अनुक्रमणी पंजी नहीं बनाई गई है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर अनुक्रमणी पंजी तैयार कर थाना में उपलब्ध सभी पंजियों/संचिकाओं को संधारित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । आवश्यकतानुसार इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है ।

45- गुण्डा पंजी :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 1315 के तहत प्रपत्र संख्या 220 में गुण्डा पंजी संधारित करना है परन्तु इस थाना में

लगातार....21/-

विहित प्रपत्र के अभाव में सादे पंजी में संधारित किया जा रहा है । बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 131(क) के अनुसार अपराध शाखा के अनुसार गुण्डों का वर्गीकरण निम्न श्रेणियों में किया जायगा :-

1- शराबी
2- दबाव डालकर पैसा ऐंठनेवाले
3- मादक पदार्थों का अवैध कारोबार करनेवाले
4- महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले
5- काला बाजारी करने वाले
6- दंगाई
7- मुकदमेबाज
8- तोड़-फोड़ करने वाले
9- सम्प्रदायवादी
10- छोत्रों को भड़कानेवाले
11- स्त्रियों एवं लड़कियों का व्यापार करनेवाले
12- जुआड़ी
13- छीन-झोर करनेवाले
14- रेलगाड़ियों और बसों पर बदमाशी करने वाले ।

गुण्डा पंजी के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि इस वर्ष कितने व्यक्तियों का प्रस्ताव भेजा गया है । थाना प्रभारी इस संबंध में अविलम्ब स्थिति स्पष्ट करें ।

46- अपराध आँकड़ा :-

सहरघाट थाना के विगत पाँच वर्षों का अपराध आँकड़ा निम्नप्रकार है :-

वर्ष	हत्या	डकैती	लूट	गृहभेदन	चोरी	दंगा
1998	3(2)	-	-	3	6	7(7)
1999	1(1)	-	-	-	2	4(4)
2000	1(1)	-	-	-	3	5(5)
2001	-	-	-	-	-	4(4)
2002	-	-	-	-	-	2(2)
2003 (20-7-2003तक)	-	-	-	-	-	-

लगातार.....22/-

उपर्युक्त आँकड़ा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दंगा एवं हत्या के क्षेत्र में अपराध की घटना में वृद्धि हुई है । इसके रोकथाम हेतु कारगर कार्रवाई की आवश्यकता है । यह थाना चूँकि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से मात्र 10 कि०मी० की दूरी पर अवस्थित है, फलस्वरूप पड़ोसी देश नेपाल के अपराधकर्मी भारत की सीमा में प्रवेश कर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं । अतः थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि पूर्णतः चौकसी बरतकर/सघन अभियान चलाकर बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने की कार्रवाई करें । अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी/आरक्षी निरीक्षक को भी इस पर निगरानी रखने की आवश्यकता है ।

47- पत्राचार :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 912 के तहत प्रपत्र संख्या 119 अ में प्राप्त पत्रों की पंजी एवं प्रपत्र संख्या 119 आ में निर्गत पत्रों की पंजी संधारित करना है जिसमें (1) न्यायालय से संबंधित (2) विभाग से संबंधित (3) सीमावर्त्ती थाना से संबंधित (4) आम जनता से संबंधित पत्रों को संधारित करना है । इस थाना में यह पंजी संधारित है परन्तु कितने पत्र प्राप्त हुए एवं कितने पत्र निर्गत कि गए, इसका कोई जिक्र निरीक्षण प्रतिवेदन में नहीं किया गया है ।

48- प्राथमिकी पंजी :-

थाना प्रभारी ने बताया कि सहरघाट थाना का प्राथमिकी मधवापुर थाना में अंकित की जाती है । इसके लिए संबंधित आवेदन/फर्द बयान को अग्रसारित कर प्राथमिकी दर्ज करने हेतु मधवापुर थाना भेजा जाता है एवं डुप्लीकेट प्रति इसी थाना में रखी जाती है । प्राथमिकी पंजी के बुक संख्या 22328 के क्रमांक 111635 से 111634oo का अवलोकन किया । इस वर्ष कुल 36 मामले दर्ज किए गए हैं । थाना प्रभारी ने बताया कि यह पंजी पाँच प्रतियों में होती है । दर्ज प्राथमिकी की पहली प्रति मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ दूसरी प्रति आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी/तीसरी प्रति अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, बेनीपट्टी/चौथी प्रति आरक्षी निरीक्षक, बेनीपट्टी एवं पाँचवी प्रति थाना में रखी जाती है । प्रत्येक बृहस्पतिवार को जिला स्तर पर आयोजित "जनता दरबार" में अक्सर लोगों द्वारा शिकायत की जाती है कि थानाप्रभारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है । चूँकि थाना को प्रथम न्यायालय कहा गया है, अतः जब कोई व्यक्ति थाना में आता है, तो उसे प्रथम न्यायालय में न्याय अवश्य मिलना चाहिए । थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि जब कोई व्यक्ति शिकायत लेकर थाना में आता है, तो उसकी बात पूरी तन्मयता से सुनकर, प्राथमिकी दर्ज कर निष्पक्ष होकर त्वरित गति से कार्रवाई करें ताकि लोगों का विश्वास पुलिस एवं प्रशासन के प्रति बढ़े एवं असामाजिक तत्वों का मनोबल गिरे ।

लगातार.... 23/-

49- प्राथमिकी पंजी :-

विगत पाँच वर्षों का प्राथमिकी आँकड़ा निम्न प्रकार है :-

वर्ष	107/116	144/145	133	182/211	188	290
1998	73	11	1	-	-	-
1999	60	7	-	3	-	-
2000	43	8	-	-	-	-
2001	49	6	-	2	-	-
2002	37	14	-	-	-	-
2003 (20-7-2003 तक)	33	10	-	-	-	-

50- डकैती पंजी :-

यह सादे पंजी में संधारित किया गया है एवं प्रविष्टि अद्यतन है । थाना प्रभारी ने बताया कि वर्ष 1998 से वर्ष 2003 के माह जुलाई तक डकैती का कोई कांड इस थाना में दर्ज नहीं हुआ है ।

51-लंबित विशेष प्रतिवेदित काण्डों की विवरणी :-

क्रमांक	कांड संख्या	दिनांक	धारा	अनुसंधानकर्त्ता का नाम/पदनाम	लंबित का कारण
1-	27/1999	3-6-1999	420/467/468/323,34भा0द0वि0	स0अ0नि0 बी0राम	गिरफ्तारी हेतु ।
2-	71/2001	12-9-2001	406/422/420/भा0द0वि0	स0अ0नि0 बी0राम	गिरफ्तारी हेतु ।
3-	13/2002	24-2-2002	304(बी), 201, 32भा0द0वि0	अ0नि0स0स0स0न0राम	आदेश हेतु ।

लगातार.....24/-

4-	36/2002	27-3-2002	धारा-341/342/376/379भा0द0वि0	अ0नि0 एस0एन0राम	अनुसंधान हेतु ।
5-	02/2003	5-1-2003	धारा-341/323/504/379/भा0द0वि0 एवं 3(1)(x)अनु0जाति अत्याचार अधि0	अ0नि0 एस0एन0राम	गिरफ्तारी हेतु ।
6-	03/2003	5-1-2003	धारा-147, 149, 341, 323, 447, 427, भा0द0वि0 एवं 3(1)(x)अनु0जाति अत्या0 अधिनियम ।	अ0नि0 एस0एन0राम	गिरफ्तारी हेतु ।
7-	68/2002	29-10-2002	धारा-341/323/376, 379भा0द0वि0	अ0नि0 एस0एन0राम	तदैव

52- लंवित अविशोष प्रतिवेदित काण्डों की विवरणी :-

1-	12/1998	6-2-1998	धारा-341/323/379/337/307, 34 भा0द0वि0	स0अ0नि0 बी0राम	आदेश हेतु ।
2-	74/2002	27-12-2002	धारा-414/34 भा0द0वि0	स0अ0नि0 बी0राम	गिरफ्तारी हेतु ।
3-	76/2002	29-12-2003	धारा-341/323/379 भा0द0वि0	स0अ0नि0 बी0राम	पर्यवेक्षण हेतु ।
4-	42/2003	28-6-2003	धारा-341/323/427/419, 420 भा0द0 वि0	स0अ0नि0बी0राम	गिरफ्तारी हेतु ।
5-	39/2003	6-6-2003	धारा-414/34 भा0द0वि0	स0अ0नि0बी0राम	गिरफ्तारी हेतु ।
6-	43/2003	24-6-2003	धारा-341/323/504/324/375, 307, 379, 34 भा0द0वि0	अ0नि0 एस0एन0राम	गिरफ्तारी हेतु ।

उपर्युक्त विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विशोष प्रतिवेदित काण्डों में 7 एवं अविशोष प्रतिवेदित काण्डों में 6 मामले लंवित दिखलाये गये हैं । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि लंवित विशोष/अविशोष प्रतिवेदित काण्डों के निष्पादन की दिशा में तीव्रता लाई जाय एवं अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

लगातार....25/-

53- चरित्र सत्यापन :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 92(क) में नियोजनार्थियों के पूर्व चरित्र के सत्यापन हेतु विशेष निर्देश दिये गये हैं। थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस वर्ष प्राप्त चरित्र सत्यापन के आवेदन पत्रों की पूर्ण विवरणी एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि चरित्र सत्यापन के जो भी मामले प्राप्त होते हैं, उनका निष्पादन अधिकतम सात दिनों के अन्दर कर संबंधित विभाग को लौटा दिया जाय ताकि संबंधित व्यक्ति को नियोजन से वंचित नहीं होना पड़े।

54- रोकड़ पंजी :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 124(क) के तहत फार्म संख्या 22 में संधारित कैश बुक का अवलोकन किया। इसे थाना प्रभारी द्वारा स्वयं लिखा जाता है। यह दो भागों में लिखी जाती है। भाग-I में कैदियों के भोजन मद में हुए खर्च का लेखा-जोखा रहता है। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रति कैदी 12/-रूपया की दर से भोजन दिया जा रहा है। इस मद में खर्च हेतु मो0 2,869/-रूपया इस माह में शेष बचे हुए हैं, जो थाना प्रभारी के पास सुरक्षित रखा गया है।

भाग -II में स्टाफ के वेतन में प्राप्त राशि का लेखा-जोख रखा जाता है। इस मद में मो0 33,813/-50 (तैंतीस हजार आठ सौ तेरह रूपया पचास पैसा) प्राप्त हुए, जिसका भुगतान उचित प्राप्तकर्त्ता को कर दिया गया है एवं भुगतान हेतु राशि शेष नहीं है।

55- सम्मान गार्ड :-

निरीक्षण हेतु पहुँचने पर सम्मान गार्ड कवायद द्वारा अधोहस्ताक्षरी को सलामी दी गयी। सभी आरक्षियों का टर्न आउट अच्छा रहा।

56- थाना प्रभारी के कर्त्तव्य :-

थाना प्रभारी से पूछने पर कि उनका कर्त्तव्य क्या-क्या है, स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया, जबकि उन्हें प्रशिक्षण अवधि में ही इसकी पूरी जानकारी दे दी जाती है। बिहार पुलिस हस्तक के नियम 81(क) में थाना प्रभारी के क्या-क्या कर्त्तव्य हैं, की विस्तृत विवरणी दी गई है। थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि नियम 81(क) के तहत दिये गये निर्देशों का आत्मसात करते हुए

लगातार...26/-

सख्ती से उसका अनुपालन सुनिश्चित करें ।

57- अन्यान्य :-

(क) जिला विधि अनुश्रवण समिति की बैठक में पी०पी० द्वारा शिकायत की जाती है कि अनुसंधानकर्त्ता की डायरी के अभाव में बहुत सारे मामलों में एक्युटल का सामना करना पड़ता है । अतः थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि गवाह प्रोडक्शन के लि जो सम्मन भेजे जाते हैं, उसका तामिला निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कराकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे एवं केस डायरी की मांगकिये जाने पर ततसम्य उपलब्ध करायेंगे ।

(ख) ए०पी०पी० द्वारा जिला विधि अनुश्रवण समिति की बैठक में जानकी दी जाती है कि अनुसंधान प्रतिवेदन के अभाव में काण्डों के निष्पादन में कठिनाई होती है । अतएव, थाना प्रभारी, लंबित काण्डों के अनुसंधान का कार्य त्वरित गति से निष्पादित कराते हुए प्रतिवेदन समर्पित करेंगे ।

(ग) नीलाम-पत्र वादों में निर्गत डी०डब्लू०एवं बी० डब्लू० का सख्ती से कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करें ताकि प्रमादी व्यक्तिय के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सके एवं राजस्व की वसूली में प्रगति लाई जा सके । थाना प्रभारी ने बताया कि 35 मामले लंबित हैं जिसे अभियान चलाकर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय एवं अनुपालन प्रतिवेदन 15 दिनों के अन्दर भेजना सुनिश्चित करें ।

(घ) भूमि विवाद का स्थायी समाधान निकालें । अतिक्रमण हटाने/शांति-व्यवस्था कायम करने में प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर , नियमित सम्पर्क कर अपेक्षित सहयोग दें ।

(च) गरीब एवं असहाय व्यक्ति/अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रति पूर्ण सहानुभूति रखें एवं उनके साथ सहृदयता से पेश आयें ।

(छ) बिहार आरक्षी दस्तक के नियम 100 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए थाना क्षेत्र के अन्तर्गत अतिक्रमण को मुक्त करावें ।

58- निष्कर्ष :-

कुल मिलाकर इस थाना का कार्य-कलाप पूर्णतः संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता है । पंजियों एवं अभिलेखों के संधारण में काफी सुधार की आवश्यकता है । थाना प्रभारी को आरक्षी दस्तक के नियम को गम्भीरता से अध्ययन करने की आवश्यकता है एवं कड़ी मेहनत करने की भी आवश्यकता है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों का

लगातार.... 27/-

सुस्पष्ट समय-सीमा के अन्दर करना सुनिश्चित करें । यदि दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कर दिया जाता है तो थाना के कार्यकलाप में गुणात्मक सुधार आने की संभावना है, अन्यथा वरीय पदाधिकारी के निरीक्षण का कोई अर्थ नहीं रह जायगा । अतः थाना प्रभारी इस ओर विशेष ध्यान देंगे ।

ह0/-डा0बी0राजेन्दर,
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।

ज्ञाप संख्या 2007/ ।सामान्य, मधुबनी, दिनांक 15 सितम्बर, 2003 ई0।

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ अग्रसारित ।
प्रतिलिपि महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थप्रेषित
प्रतिलिपि गृह सचिव, (गृह) विशेष विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आरक्षी महानिरीक्षक(प्रशासन), बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आरक्षी महानिरीक्षक, दरभंगा प्रक्षेत्र, दरभंगा की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आरक्षी उप महानिरीक्षक, दरभंगा क्षेत्र, दरभंगा की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपट्टी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, बेनीपट्टी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि थानाप्रभारी, साहरघाट थाना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

BRajendra 15.9.2003
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।